

बिहार सरकार
विधि विभाग

(कार्यपालिका नियमावली के नियम-53(1)ग एवं 32(क) XIX के अन्तर्गत)

॥ आदेश ॥

आदेश सं०-एस०पी०(नि०)-०८/२०२३-.....२९३...../ब०, पटना, दिनांक २२.०५.२३

चूँकि सचिव, विधि विभाग को संबोधित जल संसाधन विभाग, बिहार की संचिका सं०-२२/नि०सि०(अभि०)भा०-२२-१०/२०२२ में उपलब्ध कागजातों एवं कांड दैनिकी में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं०-०४८/२०१५, दिनांक-२५.०६.२०१५ के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र के तहत बोल्डर की फर्जी आपूर्ति एवं ढुलाई मापी पुस्त में अंकित कर अवैध रूप से प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम चालू विपत्र के माध्यम से कुल राशि ५२,२१,१३१.०८/- (बावन लाख एककोस हजार एक सौ एकतीस रुपये आठ चैसा) का दोषपूर्ण भुगतान संवेदक को किये जाने एवं सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाये जाने का प्रथम दृष्ट्या आरोप परिलक्षित होता है, जिससे उनके विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४२०, १२०(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा-१३(२)-सह पठित धारा-१३(१)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-१९७ एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (संशोधित अधिनियम, २०१८) की धारा-१९ के प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिये प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है,

और चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का अधिनियम संख्या-२) की धारा-१९७ एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (संशोधित अधिनियम, २०१८) की धारा-१९ के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुये या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया गया अभिकथित हो, राज्य सरकार के मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सिचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त ऐसे लोक सेवक हैं जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते हैं और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया गया है,

और अब इसलिये राज्य सरकार एतद् द्वारा भा०द०वि० की धारा-४६७, ४६८, ४७१, ४०९, ४२०, १२०(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ की धारा-१३(२)-सह पठित धारा-१३(१)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-१९७ एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ (संशोधित अधिनियम, २०१८) की धारा-१९ के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मेरेश चन्द्र मालवीय
 (रमेश चन्द्र मालवीय)
 सरकारे के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

क००५०३०.....

ज्ञाप संख्या-एस०पी०(निं०)-०८/२०२३-.....२९३...../ब०, पटना, दिनांक-....२२-०५-२३

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार की संचिका सं०-२२/निं०सि०(अभि०)भाग०-२२-१०/२०२२ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

८५२/७/२३
(रोश चन्द मालवीय)
मुख्यमंत्री के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-२२/निं०सि०(अभि०)भाग०-२२-१०/२०२२ / / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक-३२७९, दिनांक ०१.१२.२०२२ के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

ज्ञापांक-२२/निं०सि०(अभि०)भाग०-२२-१०/२०२२ / ९२९ / पटना, दिनांक-०६-०६-२०२१

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (बंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/कार्यपालक अधिकारी (आई०टी०), आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशास्त्रा पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-५, ६, ७, ८, ९, १२ एवं २२ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१०५२/७/२३
०५.६.२३
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव